UPAU120036572022

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बिधूना, औरैया।

एफ0आर0 वाद सं0–189/2022

श्यामबाबू बनाम रामबाबू आदि।

मु0अ0सं0–642 सन् 2015
अन्तिम रिपोर्ट सं0–110/2016
धारा–420,323,504,506 भा0द0सं0
थाना–बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–20.09.2024

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। प्रार्थी/वादी **श्यामबाबू** के विद्वान अधिवक्ता को प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र का0सं0 12ख दिनांकित 21.03.2023 पर पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थी/वादी मुकदमा द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र द्वारा प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कथन किया है कि प्रार्थी/वादी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के समक्ष 156(3) सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र थाना प्रभारी बिधूना को वादी की रिपोर्ट अंकित कराने आदेश दिनांक 20.11.2015 किया, जिसमें थाना प्रभारी बिधूना द्वारा प्रार्थी वादी की रिपोर्ट दिनांक 20.12.2015 दर्ज की गयी थी। जिसमें प्रार्थी/वादी व अभियुक्त नं0 1 आपस में सगे भाई हैं। प्रार्थी का खेत नं0 841 है तथा अभियुक्त नं0 1 का खेत नं0 845 है। एक दूसरे से लगे हुऐ खेत हैं और कस्बा बिधूना के मध्य स्थित है। अभियुक्त सं0 1 रामबाबू अपने खेत 845 में बहुत पहले सभी प्लाट विक्रय कर दिये। प्रार्थी व विपक्षी सं० 1 का दोनो नम्बरानों के बीच में मेड का विवाद था, उस विवाद का प्रार्थी ने विपक्षी के विरुद्ध इटावा दीवानी न्यायालय में वाद सं0 648 सन् 1987 मुकदमा दायर किया था, जिसमें विपक्षी रामबाबू के विरूद्ध, प्रार्थी के पक्ष में डिक्री हुआ और विवादित जगह न्यायालय श्रीमान् ने प्रार्थी का खेत नं0 841 का भाग माना। रामबाबू ने प्रताप सिंह व हरगोविन्द को बदनियती से प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से प्रार्थी का खेत नं0 841 में जाली फर्जी तरीके से बेईमानी की नियत से अपना खेत नं० को लेकर फर्जी तरीके से दिनांक 07.06.1996 को बैनामा कर दिया। विपक्षी प्रताप ने यह जानते हुये कि रामबाबू के द्वारा बेंचा गया प्लाट खेत नं0 845 के क्षेत्र में सही है और दिशा भी सही नहीं है तथा बेंचा गया प्लाट यह खेत नं0 841 के सीमान्तर्गत है। प्रार्थी का नुकसान पहुंचाने व स्वयं के लाभ के लिये बेईमानी की नीयत से प्रताप सिंह व हरगोविन्द ने कमलेश कुमारी पत्नी विश्वनाथ को दिनांक 19.06.2014 को बैनामा कर दिया तथा उसके बाद दिनांक 06.02.2015 को कमलेश कुमारी ने धोखा करके फर्जी तरीके से पैसे के लालच में रजनी देवी पत्नी योगेश कुमार को बैनामा कर दिया, जो पूर्णतया फर्जी है। प्रार्थी/वादी ने वाद सं0 281 सन् 2010 श्यामबाबू वनाम मुन्नी देवी आदि एक मुकदमा न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (सी०डि०), औरैया में दायर अदालत किया। प्रार्थी/वादी ने तहसील दिवस दिनांक 04.07.2013 को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें जिलाधिकारी, औरैया के आदेश पर लेखपाल ने मौके पर नापकर रिपोर्ट दी कि भूमि सं0 841 में 3 मी0 जगह प्रार्थी/वादी के भाई द्वारा विक्रय कर दी गयी। दिनांक 30.09.2015 को समय करीब 09:00 बजे सुबह प्रार्थी/वादी अपने भूमि सं0 841 में देखने गया, तो उपरोक्त अभियुक्तगण प्रार्थी/वादी की जगह पर कब्जा करने आये, प्रार्थी द्वारा मना किया गया, तो उक्त लोगों ने गाली

Digitally signed by PRAVEEN SINGH
Date: 2024.09.20 16:23:24 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM, Outlying Court, Bidhuna

गलौज करके लात–थप्पडों, घूसों से मारने पीटने लगे। शोरगुल पर अजय कुमार व अन्य लोगों ने बचाया। जाते समय उक्त लोगों ने जान से मारने की धमकी देकर कब्जा करने की कहकर चले गये। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की रिपोर्ट थाने दर्ज नहीं की गयी, तब प्रार्थी ने एस.पी. महोदय औरैया को दिनांक 09.10.2015 को एक रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा मुकदमा न्यायालय श्रीमान् जी के समक्ष 156(3) सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत दिया था तथा याचना की थी कि प्रार्थी वृद्ध आदमी है। परिवाद दायर करने में अस्मर्थ है। वह पुलिस केस चाहता है तथा थानाध्यक्ष बिधूना को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करायें जाने की याचना की थी। उक्त केस से सम्बन्धित जाँच अधिकारी ने प्रार्थी व गवाहान उदय प्रताप, अजय कुमार के कोई व्यान अंकित नहीं किये तथा थाने में ही बैठ कर सारी कार्यवाही करके फाइनल रिपोर्ट लगाई, जो असत्य है। विवेचनाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण का कोई निरीक्षण नहीं किया गया है और न ही विवेचनाधिकारी द्वारा प्रार्थी व गवाहानों के व्यान अंकित किये गये और जो वक्तव्य दर्शाये गये, वह निराधार व असत्य हैं। घटना व अपराध उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रचलित यह अन्तिम रिपोर्ट हर प्रकार से खण्डित एवं निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि न्यायहित एवं मानव दृष्टिकोण के आधार पर प्रार्थी की यह प्रत्याचिका जाने स्वीकार की जाये और प्रचलित यह पुलिस अन्तिम रिपोर्ट का प्रभाव खण्डित कर निरस्त किया जावे व प्रचलित वाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जाना न्यायसंगत होगा तथा वाद सबूत अभियुक्तगणों को तलब कर दण्डित किया जाये।

सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी का मेरे द्वारा सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बिधूना, औरैया में प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.11.2015 से थाना प्रभारी बिधूना को प्रस्तुत प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कराकर नियमानुसार विवेचना कराकर आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.11.2015 के अनुपालन में थाना बिधूना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध सं0–642/2015 अन्तर्गत धारा 420,323,504,506 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण रामबाबू, प्रताप सिंह, हरगोविन्द, विश्वनाथ व योगेश कुमार के विरूद्ध अंकित करायी गई।

उक्त प्रकरण में विवेचक हरेन्द्र सिंह यादव द्वारा इस आशय की अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है कि अब तक की तमामी विवेचना से एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर घटना के तथ्य असत्य पाये गये हैं। आवासीय भवनों के स्थान को देखते हुए वादी द्वारा अज्ञात स्वार्थ के कारण गुमराह कर उक्त अभियोग दर्ज कराया है। जबकि जमीनी विवाद होने के कारण लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार व न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), बिधूना के विभिन्न आदेशों से वादी की भूमि का होना प्रमाणित नहीं होता है। मामला दीवानी का है। दोनों पक्ष मा0 न्यायालय में चाराजोई भी कर रहे हैं। अतः अभियोग को लम्बित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः विवेचना जरिये अन्तिम रिपोर्ट सं0–110/2016 दिनांकित 28.05.2016 समाप्त की जाती है।

वादी मुकदमा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में जिन कथनों का वर्णन किया गया है, उन्हीं समान कथनों को अपने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया है। अपने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में मात्र यह अभिकथन किया गया है कि उक्त केस से सम्बन्धित जाँच

अधिकारी ने प्रार्थी व गवाहान उदय प्रताप, अजय कुमार के कोई व्यान अंकित नहीं किये तथा थाने में ही बैठ कर सारी कार्यवाही करके फाइनल रिपोर्ट लगाई, जो असत्य है। विवेचनाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण का कोई निरीक्षण नहीं किया गया है और न ही विवेचनाधिकारी द्वारा प्रार्थी व गवाहानों के व्यान अंकित किये गये और जो वक्तव्य दर्शाये गये, वह निराधार व असत्य हैं।

वादी मुकदमा को अपने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में पुलिस की खामियों व त्रुटियों को उल्लिखित किया जाना चाहिए था। वादी मुकदमा को अपने प्रार्थना पत्र में यह भी बताना चाहिए था कि पुलिस द्वारा घटना के किन महत्वपूर्ण साक्ष्यों का केस डायरी में उल्लिखित नहीं किया गया है व पुलिस द्वारा किन महत्वपूर्ण दस्तावेजों का परीक्षण नहीं किया गया है, जो कि वादी मुकदमा द्वारा नहीं किया गया है। वादी मुकदमा के द्वारा अपने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे पुलिस द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या को खण्डित किये जाने के आधार पर्याप्त प्रतीत होते हों।

वादी मुकदमा का यह तर्क कि उक्त केस से सम्बन्धित जाँच अधिकारी ने प्रार्थी व गवाहान उदय प्रताप, अजय कुमार के कोई व्यान अंकित नहीं किये, तो केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि वादी मुकदमा श्यामबाबू व उदय कुमार के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में अंकित हैं। अतः वादी मुकदमा का उक्त कथन कि प्रार्थी व गवाहान उदय प्रताप, अजय कुमार के बयान अंकित नहीं किये गये हैं, बलहीन प्रतीत होता है।

प्रस्तुत मामले की केस डायरी एवं विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर न्यायालय का मत है कि विवेचक द्वारा मामले में विधि अनुसार एवं उचित विवेचना की गयी है। वादी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई भी तथ्य या साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅच सके कि पुलिस द्वारा की गयी विवेचना खण्डित किये जाने योग्य है। प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र कागज सं0–12ख में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र कागज सं0–12ख खारिज किये जाने योग्य है एवं विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/वादी श्यामबाबू पुत्र मनोहरलाल का प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र कागज सं0–12ख खारिज किया जाता है। विवेचक द्वारा प्रस्तुत मुकदमा अपराध संख्या–642/2015, अन्तर्गत धारा–420,323,504,506 भा0दं0सं0 थाना बिधूना, जिला औरैया के मामले में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या–110/2016 दिनांकित 28.05.2016 स्वीकार की जाती है। तद्नुसार एफ0आर0 वाद सं0–189/2022 निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
बिधूना, औरैया।
J.O. Code : UP3441

दिनांक–20.09.2024